Toll Free. No: 1800-180-2060 ☎01744-270108

OFFICE OF THE
MARKET COMMITTEE, THANESAR (KURUKSHETRA)
कार्यालय मार्किट कमेटी, थानेसर (कुरूक्षेत्र)

समृद्ध किसान, हमारी पहचान E-mail:-thanesarmc@gmail.com
E-mail:-hsambtns@hry.nic.in

Ref. No. 720 **Dated:** 15-7-17

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी,
कुरूक्षेत्र।

विषयः <u>सूचना जिला वेबसाईट पर लगाने बारे</u>।

उपरोक्त विषय बारे आपको अवगत कराया जाता है कि मार्किट कमेटी, थानेसर के अधीन आने वाली मंडियों में फसलों के झार (कबाड़े) की बोली 24.07.2017 को दोपहर बाद 03:00 बजे होनी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप साथ संलग्न इश्तहार को जिला कुरूक्षेत्र की वेबसाईट पर अपलोड़ करने का काष्ट करे।

संलग्नः उपरोक्त।

सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी,
मार्किट कमेटी, थानेसर।

कार्यालय मार्किट कमेटी थानेसर (कुरूक्षेत्र) निलामी सूचना

मार्किट कमेटी थानेसर मे पड़ने वाली सभी मण्डियों से कबाड़ा उठाने का ठेका देने बारे सभी सक्षम व इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि मार्किट कमेटी थानेसर द्वारा उसके अधीन पडने वाली अनाज मण्डी व क्रय केन्द्र जैसे बारना, किरमच, अमीन मे सभी फसलों का कबाड़ा व झार (Residue) इत्यादि उठाने की खुली नीलामी दिनांक 24.07.2017 को दोपहर 03:00 बजे कार्यालय मर्किट कमेटी थानेसर में की जाएगी । सभी इच्छुक व्यक्ति निश्चित तिथि तथा समय पर पहुंच कर मौके का लाभ उठायें ।

बोली की मुख्य शर्तें

1. ठेके की अवधि 01.08.2017 से 31-07-2018 तक होगी ।
2. बोलीदाताओं को बोली मे भाग लेने से पहले मार्किट कमेटी थानेसर के पास 1,00,000/- रुपये धरोहर राशि बैंक ड्राफट द्वारा जमा करवानी होगी । जमानत राशि नकद नहीं ली जायेगी । असफल बोली दाता की जमानत राशि बोली के बाद वापिस कर दी जायेगी ।
3. सफल बोलीदाता को बोली समाप्त होते ही बोली की राशि का 25 प्रतिशत भाग तुरन्त जमा करवाना होगा तथा 75 प्रतिशत भाग एक मास के अन्दर-अन्दर जमा करवाना होगा यदि बकाया राशि समय पर जमा नही करवाई तो सिक्योरटी व जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और ठेका रद्द कर दिया जाएगा ।
4. जिस ठेकेदार ने पिछले वर्ष किसी कमेटी के कबाड़े का ठेका लिया होगा उस ठेकेदार को उस मार्किट कमेटी से एन.ओ.सी. लाकर देनी होगी, उस के बाद ही बोली मे भाग ले सकेगा ।
5. सफल बोलीदाता को 1,00,000/- रुपये बतौर सिक्योरिटी जमा करवानी होगी, सिक्योरटी की राशि ठेका अवधि समाप्त होने के बाद बिना ब्याज वापिस कर दी जाएगी ।
6. ठेकेदार को सरकार द्वारा निर्धारित श्रम नियमों का पालन करना होगा ।
7. जो कर्मचारी ठेकेदार द्वारा लगाये जाएगे उनकी दुःख तकलीफ तथा दुर्घटना का जिम्मेदार ठेकेदार स्वयं होगा ।
8 यदि ठेकेदार किसी भी शर्त का उल्लंघन करेगा उनका ठेका रद्द कर दिया जाएगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी ।
9. कमेटी जब उचित समझे उपरोक्त के अतिरिक्त, सार्वजनिक हित में अन्य कोई शर्तो मे कोई बदलाव कर सकतीहै।
10. मण्डी से सारा कबाड़ा (Residue) प्रतिदिन उठाना होगा जिसका निरीक्षण मार्किट कमेटी के कर्मचारियो/अधिकारियो द्वारा रोजाना किया जाएगा तथा कार्य ठीक न होने पर 2,000/- रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जा सकता है जो उसकी जमानत राशि मे से काट लिया जाएगा। । ठेकेदार मण्डी मे किसी भी स्थान पर कबाड़ा (Residue) का ढ़ेर नही लगाएगा ।
11. कबाडा उठाने के लिए ट्रैक्टर-ट्राली झोटा-बुग्गी झाडू, कस्सी इत्यादि का प्रबंध ठेकेदार को स्वयं करना होगा ।
12. इस निलामी राशि पर यदि सेल टैक्स, आयकर जमा करवाना पड़ा तो वह ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा ।
13. कबाड़ा मण्डी के बाहर इक्ट्ठा करना होगा । इसके लिए स्थान का प्रबन्ध ठेकेदार को स्वयं करना होगा।
14. धरोहर राशि दिनांक 24.07.2017 को सुबह केवल 10:00 से 02:00 बजे तक ही ली जाएगी।
15. उपरोक्त सभी शर्तो की पालना हेतू आपको 100/- रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र इस कार्यालय मे देना होगा
16. बोली स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार कबाड़ा नीलामी कमेटी थानेसर को बिना कोई कारण बताए होगा ।

सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी
मार्किट कमेटी थानेसर ।
फोन नं. 01744-270108

प्रशासक,
मार्किट कमेटी थानेसर
01744-270108